Setting up of a High Court Bench at Bhopal

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और जवंलत समसया की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति :नहीं, राघवजी बोलिए।

श्री राघवजी : भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद भी भोपाल में न हाई कोर्ट हैं, न हाई कोर्ट की बेंच हैं और न सर्किट बेंच है। जबकि हिन्दुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं अधिकांश की राजधानियों में इस प्रकार की व्यवस्था हैं। केवल कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर यह नहीं हैं। उसमें ईटानगर, गांधी नगर, भुवनेश्वर, भोपाल और तिरूअनंतपुरम हैं। ईटानगर के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि शीघ्र ही वहां पर गुवहाटी की बेंच होने वाली हैं। भुवनेश्वर और गांधी नगर तो अहमदाबाद और कटक के बहुत पास हैं। ...(**व्यवधान**)....

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I understand you are disallowing raising of issues like this.

MR. CHAIRMAN: This is regarding setting up of a High Court Bench by Government of India. It is not regarding the State Government.

श्री राघवजी : सभापति महोदय, सभी प्रदेश की राजधानियों में इस प्रकार की व्यवस्था हैं। जिनमें नहीं हैं वहां कुछ कारण हैं। ईटानगर में सरकार ने निर्णय लिया हैं कि गुवाहटी हाई कोर्ट की बेंच वहां स्थापित होगी। इसी प्रकार से भुवनेश्वर और गांधी नगर के पास जो शहर-अहमदाबाद और कटक हैं, एक घंटे के रास्ते पर वहां पर भी हाई कोर्ट की बेच हैं। सिर्फ भोपाल और तिरूअनंतपुरम में हाई कोर्ट नहीं हैं, बेंच नहीं हैं और सर्किट बेंच भी नहीं हैं, जबकि मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान की भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ो प्रदेश हैं और आज के इस युग में भी कए स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 36 घटें तक लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच नहीं हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक बात और भी हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी भोपाल में हाई कोर्ट अथवा उसकी बेंच अथवा सर्किट बेंच होना इसलिए जरूरी हैं कि 60 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पक्ष हुआ करती है और सरकार का मुख्यालय भोपाल में होने की वजह से अधिकारियों को बार-बार जबलपुर जाना पड़ता हैं और करोड़ो रूपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं हाई कोर्ट में जो प्रकरण पेंडिंग हैं मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूं। 99069 प्रकरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लम्बित हैं जिनमें से

25221 प्रकरण ऐसे हैं जो पांच वर्षो से भी अधिक समय से वहां पर लम्बित हैं। भोपाल राजधानी नहीं होने से लोगों को बहुत तकलीफ है और बार-बार इस संबंध में वहां आंदोलन हुए हैं। इसके बाद भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई हैं। सभापति महोदय, एक बात और भी हैं कि भोपाल में ही जुडिशियरी की एकाडमी की स्थापना की गई हैं जहां पर जजेज की ट्रेनिंग होती हैं। अगर वहां पर हाई कोर्ट नहीं होगी तो उस ट्रेनिंग का अर्थ भी क्या होगा इसीलिए माननीय सभानपति महोदय, मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भोपाल हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। यदि इसमें को अड़चने आ रही हैं, कानूनी व्यवधान आ रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कानून भी बनाया जा सकता हैं कि सभी प्रदेश की राजधानियों में हाई कोर्ट अथवा उसकी बेंच हों। अगर आज इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे 4 आर्थिक बचत भी होगी। इस जो पक्षकार होंगे उनको भी सुविधाएं होंगी और इसमें जन का हित भी होगा। माननीय विणिज्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि हम विलम्ब दूर करेंगें और आप अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जा रहे है उसमें एक कदम यह भी हो सकता हैं कि उसके साथ ही अधिक बैंक भी स्थापित की जा सकती हैं। माननीय विधि राज्य मंत्री जी स्वयं भोपाल से आते हैं, वह वहां से चुनकर आए हैं, वह स्वयं इस समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं विधि राज्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, विगत कई वर्षो से देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग की जाती रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में हाई कोर्ट की स्थापना की सिफारिश पहले 23 मई, 1981 को की और बाद में मार्च 1984 में की। लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा भोपाल में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल से अनेक शासकीय कर्मचारियों को अपने अनेकों शासकीय प्रकरणों के निपटारे के लिए जबलपुर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। उससे शासन का पैसा अनावश्यक रूप से अधिक खर्च होता है उन्हे जल्दी निपटाने के लिए यह आवश्यक हैं कि भोपाल में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापन्ना की जाए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हैं भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर हाई कोर्ट की बैंच प्रारम्भ करने के लिए मौजूद हैं। भोपाल में जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट भी रहा है। इसलिए वहां पर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापित करने की जो मांग हैं वह जायज हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने संबंधी जो सिफारिश पूर्व में की हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए भोपाल में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना करने संबंधी निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश ये विधि राज्य मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश से ही प्रधान मंत्री जी का सीधा संबंध रहा हैं। फिर भी मध्य

प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना न होना न्यायसंगत नहीं है। मुझे विश्वास हैं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी। अभी हाल ही में जो प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य हैं, उसमें भी रायपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। जब रायपुर में जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट की बेंच शीघ्र स्थापित क्यों नहीं हो सकती? यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं राघवजी की बात से अपने को संबद्व करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on the question of establishment of a High Court Bench in Bhopal, we have received representations from various Bar Associations and advocates. We have also received similar representations from a number of advocates from Thiruvanthapuram also. But as per the provision, it depends on the recommendation of the concerned States as well as of the Chief Justices of the concerned High Courts. We are awaiting. We will take action according to the recommendations of these two bothes.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sharma. *(Interruptions).*

श्री सुरेश पचौरी : मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 मई , 1981 को और मार्च 1984 को भोपाल में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना की सिफारिश की हैं। आप उस अनुशंसा के आधर पर निर्णय ले सकते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) **:** सर, मेरा एक स्पेशल मैंशन हैं, वह आठवे नम्बर पर दिया हैं और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में मैने कल ही आपसे निवेदन किया था। वह कल आना चाहिए था। लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सका।

महोदय, एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया गया। अगर इस विषय पर सदन में आज चर्चा नहीं होगी तो इस विषय का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ...(**व्यवधान**).... मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इसको पहले ले लेंगे तो अच्छा होगा। ...

श्री सभापति : आप अपने साथियों से कहिए कि वह

श्री रामदास अग्रवाल : मैं समझता हूं कि हमारी सभी महिला सांसद भी इसका समर्थन करेंगी। ...(**व्यवधसान**).... नहीं तो यह विषय आज भी छूट जाएगा। ...(**व्यवधान**)....

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : सर, यह बहुत आवश्यक है। यह दुराचार एक दलित महिला के साथ हुआ हैं। ...(**व्यवधान**)....

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Mr. Chairman, Sir, through this Specisd Mention, I would like to draw the attention of the Government to the urgent necessity of constructing an alternative bridge in Guwahati city, across the Brahamaputra, considering the increased traffic density in that area over the years.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, my request is this. Depending upon the importance and seriousness of the issue, the Chairman has always been changing the priority of Special Mentions also. After all, the incident which had taken place one month back is equally important. It was raised. Sir, you allowed it and the Minister was kind enough to respond to it. It is fine. It was for a good cause. But in the same way a Dalit woman has been raped and then burnt alive. After all, people are also watching the proceedings. A tragic incident, which has taken place, has not been taken up so far. A Cabinet Minister has been shot dead today in Madhya Pradesh. It is a very important issue. He belonged to a Tribal community. He was called from his house and was shot dead at Balaghat distrfct in Madhya Pradesh. My only request is this. There is no need for quarrelling with each other. I am not saying that this issue should be taken up first or that issue should be taken up first. Sir, at one o' clock you will adjourn the House for lunch. Afterwards, some other business will be taken up.

MR. CHAIRMAN: If the Members are prepared to sit longer, I am ready to complete these issues.

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री लखीराम की रात को हत्या कर दी गई और साथ में एक पत्र मिला हैं जो यह दर्शाता हैं कि नक्सलवादियों ने उनकी क्रूरतम हत्या की हैं। यह अपने आप में बहुत जघन्य अपराध हैं और साथ ही बहुत चिंताजनक भी हैं। वे बालाघाट जिले के हैं और उनका नाम श्री लखीराम गौरे था। साथ में जो पर्ची मिली हैं उसमें यह लिखा गया हैं— "क्योंकि आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा हैं, उसके बदले के रूप में ये हत्या कर रहे है, इस बात को सचेत

करने के लिए कि नक्सलवादियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया जाए"। महोदय, यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। निश्चित रूप से सदन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सके।

Need for a second bridge over Brahmaputra to accommodate increased traffic

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Saima. *(Interruptions).*

श्री राघवजी : महोदया, यह बहुत जघन्य अपराध हैं। ...(**व्यवधान**)....

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Sir, I am not allowing lybody. I am not yielding. I have been standing here for the last

five minutes. *(Interruptions).*

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Sir, what is this? The Member has not yielded. He is interrupting him in the midst of his speech. The right of e Member should be protected.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sarma. *(Interruptions).*

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, I have been waiting to raise this *,jue* for the last two days.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he is a Member of the House. We are not stopping him from raising this issue. *(Interruptions).*

SHRI MD. SAUM: He has made a good suggestion. But he cannot

interrupt someone in the midst of this speech. This is very anfortunate.

MR. CHAIRMAN; Shri Arun Kumar Sarma. (Interruptions).

SHRI MD. SALIM: He is teaching us all the time. One should follow that one teaches. *(Interruptions).*

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, 1 had already started my speech. Nobody should have interrupted me because 1 have ever interrupted anybody. Kindly bear with me.

Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the